फा.सं. 14(10) संस्था (सम.)/88

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान– संशोधित स्पष्टीकण के बारे में।

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 14(8) –संस्था (सम.)/83 दिनांक 8.3.1984 की ओर ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है, जिसमें इस मंत्रालय के का.ज्ञा. सं. एफ. 14(6) –संस्था (सम.)/83, दिनांक 10.11.1983 के तहत जारी आदेशों के अनुसरण में लेखा वर्ष 1982–83 के लिए तदर्थ बोनस के भुगतान संबंधी स्पष्टीकरणों के सेट को परिचालित किया गया है।

2. तदर्थ बोनस का भुगतान अनुवर्ती वर्षों में किया भी जा चुका है। इसके अलावा, दिनांक 8.3.1984 के उपर्युक्त आदेशों के अंतर्गत नहीं कवर किए गए कुछेक मुद्दों पर वैयक्तिक रूप से प्राप्त संदर्भों पर स्पष्टीकरणों से विभिन्न मंत्रालयों आदि को सूचित कराया गया है।

3. इस स्थिति को देखते हुए, पहले के स्पष्टीकरणों की समीक्षा की गई तथा उनको अद्यतन किया गया है। स्पष्टीकरणों का एक संशोधित सेट सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ भेजा जा रहा है। ये स्पष्टीकरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

4. गृह मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इसे अपने अंतर्गत संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी संगठनों, संघ शासित क्षेत्रों आदि की जानकारी में लाएं जिनके कर्मचारियों पर तदर्थ बोनस आदेश लागू होते हैं।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(अंजली देवाशर)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

सभी वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि प्रेषित :

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

अनुबंध, वित्त मंत्रालय
का.ज्ञा.संख्या 14(10) संस्था(समन्वय)/88
दिनांक 4-10-88

तदर्थ बोनस के आदेश के संबंध में संशोधित स्पष्टीकरण

	प्रश्न		स्पष्टीकरण
	क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी लेखा वर्ष के लिए तदर्थ बोनस के लाभ हेतु पात्र हैं:		बशर्ते कि लेखाकरण वर्ष की 31 मार्च को कम से कम छह माह की सतत सेवा पूरी कर चुके हों और सेवारत हों।
(क)	पूर्णत: अस्थायी तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी।	(क)	जी हां, यदि सेवा भंग न हुई हो।
(ख)	संगत वर्ष की 31 मार्च से पहले सेवा से त्याग-पत्र दे चुके, सेवा-निवृत्त हुए अथवा स्वर्ग-सिधार गए कर्मचारी।	(ख)	विशेष मामले के तौर पर केवल वे व्यक्ति, जो वर्ष के दौरान कम से कम छह माह की नियमित सेवा पूरी करने के बाद 31 मार्च से पहले अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त हो गए अथवा चिकित्सा आधार पर अशक्तता की वजह से सेवा-निवृत्त हो गए अथवा दिवंगत हो गए, यथानुपात रूप से सेवा-अवधि के निकटतम माह का तदर्थ बोनस प्राप्त करने के हकदार होंगे।
(ग)	31 मार्च को राज्य सरकारों, संघ शासित सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/आदि में प्रतिनियुक्ति/विदेश-सेवा शर्तों पर नियुक्त कर्मचारी।	(ग)	ऐसे कर्मचारी परिदाय (लैण्डिंग) विभागों से तदर्थ बोनस पाने के पात्र नहीं हैं। ऐसे मामलों में तदर्थ बोनस देने की जिम्मेवारी उस संगठन की है जहां पर वे गए हैं तथा यह तदर्थ बोनस/पी.एल.बी./अनुग्रही-राशि/प्रोत्साहन स्कीम पर निर्भर करती है।
(घ)	वे कर्मचारी जो लेखा वर्ष के दौरान उपर्युक्त (ग) में दर्शाए गए संगठनों में इतर विभागीय सेवा में प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं।	(घ)	विदेशी नियोक्ता से लेखा वर्ष हेतु प्राप्त बोनस/अनुग्रही-राशि और प्रत्यावर्तन के बाद के लिए केन्द्र सरकार के कार्यालय से देय तदर्थ बोनस, यदि कोई हो, की कुल राशि तदर्थ बोनस आदेशों के बाद देय राशि तक ही

सीमित होगी।

(ड.) वे कर्मचारी जो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी संगठनों से केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं।

(ड.) जी हां, वे तदर्थ आदेश के निबन्धन में आदाता विभागों द्वारा दिए जाने वाले तदर्थ बोनस के हकदार हैं, बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति की शर्तों के रूप में कोई प्रतिनियुक्ति भत्ते से इतर कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन न दिया गया हो तथा परिदाय प्राधिकरण को कोई आपत्ति न हो।

(च) अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त हुए उन कर्मचारियों को, जो पुन: नियोजित किए गए।

(च) पुनर्निर्माण चूँकि नए सिरे से नियोजन होता है, इसलिए पात्रता अवधि पुनर्नियोजन अवधि के लिए अलग से निकाली जाती है, सेवा-निवृत्ति से पूर्व की अवधि तथा पुनर्नियोजन की अवधि के लिए कुल स्वीकार्य राशि, यदि कोई हो, तदर्थ बोनस आदेशों के तहत अधिकतम स्वीकार्य राशि तक प्रतिबंधित होती है।

(छ) लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय अर्ध वेतन छुट्टी/असाधारण छुट्टी/अदेय छुट्टी/अध्ययन छुट्टी पर रहे कर्मचारी।

(छ) पात्रता अवधि निकालने के प्रयोजनार्थ बगैर वेतन के छुट्टी को छोड़कर अन्य प्रकार की छुट्टियों की अवधि शामिल होगी। असाधारण छुट्टी की अवधि पात्रता अवधि में से निकाल दी जाएगी, लेकिन तदर्थ बोनस के प्रयोजनार्थ इस अवधि को सेवा-भंग माना जाएगा।

(ज) संविदा कर्मचारी, जैसे रेजीडेन्ट डॉक्टर्स, भारत के रजिस्ट्रार जनरल में कार्यरत समेकित वेतन पर कार्य करने वाले कामगार, अनुसंधान कर्मचारी आदि।

(ज) जी हां, यदि कर्मचारी महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत जैसे लाभों के लिए पात्र हो। इन लाभों के लिए अपात्र श्रेणियों को तदर्थ बोनस के आदेशों के निबंधन में अनियत मजदूर के समान माना जाएगा। अनुसंधान कर्मचारियों को परिलब्धियां नहीं मिलती हैं, इसलिए वे इस लाभ के लिए पात्र नहीं है।

(झ) लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय निलम्बित रहा कर्मचारी।

(झ) लेखा वर्ष में निलम्बन की अवधि में दिए गए गुजारा भत्ते को परिलब्धियों के रूप में नहीं समझा जा सकता। ऐसा कर्मचारी तदर्थ बोनस के लाभार्थ पात्र तभी बनेगा, जब उसे निलम्बन-अवधि के लिए परिलब्धियों के लाभों के साथ बहाल कर दिया जाएगा तथा अन्य मामलों में ऐसी अवधि को पात्रता के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार अलग कर दिया जाएगा जैसे बगैर वेतन

छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारियों के मामले में किया जाता है।

(ञ) तदर्थ बोनस के आदेश के तहत आने वाले मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से भारत सरकार अथवा संघ राज्य सरकार अथवा तदर्थ बोनस आदेशों से कवर स्वायत्तशासी निकाय में स्थानांतरित कर्मचारी एवं विलोमत: स्थानान्तरित कर्मचारी।

(ञ) तदर्थ बोनस आदेशों के अंतर्गत आने वाले किसी मंत्रालय/कार्यालय से ऐसे किसी अन्य कार्यालय में बगैर सेवा-भंग के स्थानांतरित होने वाले कर्मचारी भी विभिन्न संगठनों में सेवा की संयुक्त अवधि के आधार पर तदर्थ बोनस के हकदार होंगे। सीमित विभागीय अथवा खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर एक संगठन से किसी दूसरे संगठन में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारी भी तदर्थ बोनस के हकदार होंगे। भुगतान केवल उसी संगठन द्वारा किया जाएगा, जहां वह 31 मार्च को नियुक्त था तथा पूर्व नियोक्ता के साथ कोई समायोजन आवश्यक नहीं होगा।

(ट) तदर्थ बोनस आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी सरकारी विभाग/संगठन से उत्पादकता संबद्ध बोनस सकीम अथवा विलोमत: के तहत आने वाले किसी सरकारी विभाग/संगठन में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारी।

(ट) वह राशि अदा की जाए जो उन्हें उत्पादकता संबद्ध बोनस के रूप में देय राशि को कवर करके तदर्थ बोनस के अंतर्गत आने वाले विभाग में संपूर्ण वर्ष के लिए मिलने वाली परिलब्धियों के आधार पर अदा की गई होती। इस प्रकार, परिकलित राशि का भुगतान उस विभाग द्वारा अदा किया जाए जहां वह 31 मार्च, को तथा/अथवा भुगतान के समय कार्यरत था।

(1) अंकित नियत भुगतान पर लगे अंशकालिक कर्मचारी

(1) पात्र नहीं।

2. निम्नलिखित मामलों में बोनस हेतु पात्रता और उसकी प्रमात्रा का आकलन करने के लिए किन परिलब्धियों को ध्यान में रखा जाता है ?

तदर्थ बोनस आदेश के संबंध में 2500 रुपए प्रति माह तक अथवा सहित परिलब्धियां आहरित करने वाले कर्मचारी तदर्थ बोनस का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। उठाए गए बिन्दुओं का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है-

(क) लेखा वर्ष का वह माह जिसके लिए परिलब्धियां हिसाब में ली जानी हैं।

(क) 31 मार्च को स्वीकार्य परिलब्धियां अथवा वर्ष के दौरान सेवा-निवृत्त/मृत हो गए कर्मचारियों द्वारा आहरित अंतिम परिलब्धियां।

(ख) वे कर्मचारी जो मार्च माह के दौरान असाधारण छुट्टी/अर्ध-वेतन छुट्टी/अध्ययन छुट्टी पर थे।

(ख) छुट्टी पर जाने से पहले आहरित की गई अंतिम परिलब्धियां।

(ग) वे कर्मचारी, जो उच्चतर पदों पर तदर्थ आधार पर प्रोन्नत हुए लेकिन

(ग) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य परिलब्धियां।

उच्चतर पद पर छह माह की अवधि पूरी नहीं की।

(घ) वे जो प्रोन्नत हुए और वेतनवृत्ति लेने की वजह से जिनकी परिलब्धियां 2500 रुपए प्रति माह से अधिक हो गई।

(घ) पात्रता का निर्धारण और बोनस का भुगतान करने के प्रयोजन हेतु केवल 31 मार्च को स्वीकार्य परिलब्धियां ही ध्यान में रखी जाएंगी।

(ड.) परिलब्धियों के एक हिस्से के रूप में भत्तों की किस्में जो परिलब्धियों का एक हिस्सा मानी जाएंगी।

(ड.) संशोधित वेतनमान का विकल्प नहीं चुनने वाले कर्मचारियों के मामले में संगत वर्ष के लिए तदर्थ बोनस आदेशों में परिलब्धियों को अगर अन्यथा परिभाषित नहीं किया गया है तो परिभाषित शब्द "परिलब्धियां" में मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन और महंगाई भत्ता, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता शामिल होगा तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत भी शामिल होगी । इसमें कुछ अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ता, खराब जलवायु भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता आदि शामिल नहीं है।

(च) पुनर्नियोजित पेंशनरों के लिए परिलब्धियां

(च) वे परिलब्धियां जिनके लिए पेंशनर 31 मार्च को हकदार होंगे (जिसमें पेंशन अथवा पी.ई.जी. के कारण हुई कटौती का हिस्सा भी शामिल है)।

(छ) राज्य सरकार/संघ शासित सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संगठनों से भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति के पश्चात वापिस लौटे कर्मचारियों के मामले में।

(छ) केन्द्र सरकार के तहत ऋण उगाही संगठनों में 31 मार्च को स्वीकार्य परिलब्धियां।

3. क्या निम्नलिखित मामलों में लेखा वर्ष के दौरान अनियत मजदूरों को तदर्थ बोनस दिया जाएगा:

(क) वे व्यक्ति (अनियत मजदूर) जिन्होंने उपर्युक्त लेखा वर्ष को समाप्त होने वाले अलग-अलग तीनों वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यालयों में विनिर्दिष्ट संख्या में कार्य दिवसों में कार्य किया है।

(क) कथित लेखा वर्ष से पिछले तीन वर्षों के लिए पात्रता का निर्धारण किया जाना है। इनमें से प्रत्येक वर्ष में 240 कार्यदिवसों की अवधि का परिकलन भारत सरकार के एक से अधिक कार्यालयों में जितने दिन कार्य किया, जिसके लिए बोनस, अनुग्रही अदायगी अथवा प्रोत्साहन अदायगी अर्जित तथा प्राप्त नहीं की गई है, उतने दिनों को मिलाकर किया जाएगा।

(ख) अनियत मजदूर जिनके पास 31 मार्च को कार्य नहीं था।

(ग) वे कर्मचारी जिन्होंने लेखा वर्ष से पूर्व दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कम से कम विनिर्दिष्ट संख्या में कार्य दिवसों में कार्य किया है परंतु कार्यदिवसों की ये संख्या उपर्युक्त लेखा वर्ष में रोजगार में नियमितिकरण के कारण निर्धारित सीमा से कम है।

(ख) जैसा कि संगत आदेशों में निर्धारित किया गया है, 31 मार्च को रोजगारयुक्त होने की शर्त नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है न कि अनियत मजदूरों पर।

(ग) यदि लेखा वर्ष में नियमित किया गया कोई भी अनियत मजूदर 31 मार्च को कम से कम छह माह की अनवरत सेवा पूरी करने की शर्त पूरी नहीं कर पाता और इसलिए वह नियमित कर्मचारी को मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाता है तो उसे अनियत मजूदर को दिए जाने वाले लाभ मिल सकते हैं बशर्ते कि उल्लिखित वर्ष में की गई नियमित सेवा तथा अनियत मजदूर के कार्यकाल की सेवा का जोड़ लेखा वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट कम से कम कार्य दिवसों के बराबर हो।